

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 475]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2018 — अग्रहायण 20, शक 1940

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 29 नवम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 11-3/2013/मवावि/50. — राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित न्यायाधीश को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :-

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बेमतरा	बेमतरा	श्री सुमीत कुमार हर्षयाना, सिविल जज, क्लास - II, साजा

No. F 11-3/2013/MBV/50. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (2) of the Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chairman (Principal Magistrate), mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column no. 3 :-

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Bemetara	Bemetara	Shri Sumit Kumar Harsyana, Civil Judge Class-II, Saja

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गोता, सचिव.